Petitions for Protection of Life and Property

339. SHRI GHUFRAN AZAM: will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of petitions from the women Petitioners from Punjab received by him through Members of Parliament during the last six months seeking protection of their life and property;

(b) what are the details thereof; and

(c) the action taken/proposed to be taken thereon by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SYED SIBTEY RAZI): (a) to (c) During the last six months three petitions from the women petitioners from Punjab through Members of Parliament seeking protection of their life and property were received. The subject matter relating to protection of life and property is the concern of respective State Governments as per List-II of the Seventh Schedule to the Constitution of India. Accordingly, petitions received from Members of Parliament in this regard were sent to Government of Punjab for taking appropriate action in the matter.

Treaties with Countries to Combat Terrorism

340. SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the names of the countries with which Government have entered into treaties and conventions to combat terrorist crimes;

(b) whether terrorists are inciting terrorist and disruptive activities in India even while residing in the countries with which treaties/conventions exist;

(c) whether Government have taken up, with the countries concerned, the issue of the manipulating terrorist and disruptive activities from their soil; and

(d) if so, with what result?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) India has signed extradition treaties, mutual legal assistance agreements and other specific agreements to combat terrorism and organised crime etc. Extradition treaties exist with Canada, UK, Netherlands, Belgium, Nepal, Bhutan and USA. Mutual legal assistance treaties have been signed with UK, Canada, Turkey and Switzerland. The agreements with Russian Federation, Bulgaria, Egypt, Romania are aimed at combating international terrorism, organised crime, international illegal economic activities and illicit trafficking in narcotic durgs and psychotropic substances.

(b) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में वन क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रस्ताव

341. श्री राजूभाई ए० परमार: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1995-96 और 1996-97 के दौरान सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में वन क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप प्रतिवर्ष चलाए जाते हैं। केन्द्र और राज्य योजनाओं में धन की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गुजरात के सौराष्ट्र तथा कच्छ क्षेत्रों सहित देश में वनीकरण तथा वृक्षारोपण कार्यकलापों में तेजी लाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ये कार्यकलाप राज्य वन विभागों और अन्य संबंधित विभागों की विभिन्न योजनाओं तथा केन्द्र सरकार की निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत चलाए जा रहे हैं:—

पर्यावरण और वन मंत्रालय की एकीकृत वनीकरण और पारिस्थिति-की विकास परियोजना स्कीम, ईंधन लकड़ी तथा चारा परियोजनाओं की स्कीम, इमारती लकड़ी से इतर वनोपज प्रदान करने वाले वृक्षारोपण की स्कीम तथा बीज विकास स्कीम; ग्रामीण विकास मंत्रालय की एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजनाओं की स्कीम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम; कृषि मंत्रालय की नदी घाटी परियोजनाओं के जल-ग्रहण क्षेत्रों के मृदा संरक्षण की स्कीम आदि। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत भी वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए जाते हैं। ओवरसीज इकानामिक को आपरेशन फण्ड (जापान) गुजरात में पांच वर्ष की अवधि में चलाई जाने वाली एक परियोजना नामतः "एकीकृत वानकी परियोजना" को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। यह परियोजना 1995-96 में शुरू की जाएगी।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत लक्ष्य प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाते हैं। ये लक्ष्य केन्द्र और राज्य योजनाओं में प्रतिवर्ष उपलब्ध धनराशि पर निर्भर करते हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान गुजरात के लिए 59,400 हैक्टेयर क्षेत्र पर कार्यक्रम चलाने तथा 1650 लाख पौध वितरित करने का लक्ष्य है। वर्ष 1996-97 के लक्ष्यों को कभी अंतिम रूप दिया जाना है।

झंझारपुर टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा सेवा के संबंध में समाचार

342. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 सितम्बर, 1995 के "हिन्दुस्तान" के पटना संस्करण में "मजाक बनकर रह गई है टेलीफोन सेवा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त समाचार में उल्लिखित झंझारपुर टेलीफोन एक्सचेंज में हो रही कतिपय अनियमितताओं की जांच सरकार ने कराई है;

(ग) यदि हां, तो जांचोपरान्त सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और जांच का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी पहलुओं के संबंध में शीघ्र जांच कराकर कार्रवाई करेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) जांच-पड़ताल प्रगति पर है।

राज्य सड़क परिवहन निगमों को हुआ घाटा

343. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्र में संचालित सड़क परिवहन निगमों के वार्षिक घाटे की राशि वर्ष 1993-94 में 656.03 करोड़ रु० से बढ़कर वर्ष 1994-95 में 778.43 करोड़ रुपये हो चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत शोध कक्ष ने घाटे में चलने वाले इन निगमों के बारे में अपनी राय सरकार को दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो उपरोक्त शोध कक्ष की राय का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबध में अब तक क्या कार्रवाई की है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० राजशेखर मूर्ति): (क) जी हां। तथापि, यह 71 सार्वजनिक क्षेत्र के सड़क परिवहन उपक्रमों में से 45 सार्वजनिक क्षेत्र के सड़क परिवहन उपक्रमों के संबंध में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए अनुसंधान पक्ष द्वारा दिए गए सुझाव निम्नलिखित हैं:—

(i) बेहतर प्रबंध एवं नियंत्रण द्वारा उत्पादकता में सुधार।

(ii) रख-रखाव सुविधाओं में सुधार और उसके फलस्वरूप ईंधन खपत में सुधार।

(iii) भाड़े में उचित संशोधन।

(iv) स्टाफ का समावेश।